न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 02/2025

श्री शेरू खान कायमखानी पुत्र श्री महबूब खान, निवासी भीमपुरा, सरदार नगर, भीलवाडा

................प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीनगर ....अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री डी.वी.माथुरः– अभिभाषक प्रार्थी

श्री शेरू खान प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497 व 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

आदेश

दिनांक– 08.04.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का ट्रेलर अशोक लीलेण्ड संख्या आर.जे. 06 जीडी 9269 को पुलिस थाना श्रीनगर द्वारा अन्तर्गत धारा 6,8,9 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन को सुपुर्दगी पर लेने का अधिकारी है। उपरोक्त वाहन का सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण हो चुका है उपरोक्त वाहन की पुलिस थाना श्रीनगर को कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना श्रीनगर में खुले में पड़ा है जिससे वाहन खराब होने की संभावना है। वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन अशोक लीलेण्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 06 जीडी 9269 सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पश्चात् सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का वाहन अशोक लीलेण्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 06 जीडी 9269 को पुलिस थाना श्रीनगर द्वारा अन्तर्गत धारा 6,8,9 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन को सुपुर्दगी पर लेने का अधिकारी है। उपरोक्त वाहन का सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण हो चुका है उपरोक्त वाहन की पुलिस थाना श्रीनगर को कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना श्रीनगर में खुले में पड़ा है जिससे वाहन खराब होने की संभावना है। वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी कठिनाईयो का सामना करना

जिला कलक्टर
अजमेर

पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन अशोक लीलेण्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 06 जीडी 9269 सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे।

थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 12.02.2025 में अवगत कराया कि थाना हाजा के प्रकरण में मुस्तगिस मुकदमा मेवासिंह पुत्र श्री रतन सिंह जाति रावत निवासी फारकिया श्रीनगर जिला अजमेर का रहने वाला हूँ मुझे रात्री में दिनांक 02.12.2024 समय करीब 12.30 ए.एम पर सुचना मिली कि जिलावडा छापर में एक ट्रेलर नम्बर आर.जे. 06 जीडी 9269 जिसमें अवैध गोवंश पशु भर जा रहे है जिसकी सूचना गौ दल के कार्यकर्ता किशनगढ निवासी नितेष सैनी संजय भाट निवासी फारकिया को दी जिस पर नितेष व संजय भांट आ गये फिर तीनो फारकिया से रवाना होकर समय करीब 1.15 ए.एम पर जिलावडा छापर में पहॅचे जहां पर उक्त ट्रेलर में 10 अवैध गौवंश पशु भरे हुए थे जिनके पैर व मुँह बंधे हुए थे गो वंश भरने वाले दो तीन लोग थे जिनसे नाम पता पूछा तो अन्धेरे बबूलो में भाग गये तथा नाम व पता कागजो के बारे में कुछ नहीं बताया तब पुलिस को सूचना दी तो कुछ देर बाद मौके पर पुलिस भी आ गई पुलिस की मदद से हम लोगो ने ट्रेलर में भरे हुए गौ वंश बछडो को गिना गया तो 10 छोटे बडे गौ वंश थे जिनका मौके पर मुँह व पैर खुलवा कर गौ वंश को नीचे उतारा गया। फिर उनको गांव से चारा पानी की व्यवस्था की बाद में हमारे सामने कुछ लिखा पढी की तथा गौ वंशो को व ट्रेंलर को श्रीनगर लेकर आये तथा गौ वंश को श्री राम गौ शाला किशनगढ में छोडा गया। मुकदमा नम्बर 175/2024 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 व पशु की क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1)(घ),11 (1)(एफ) में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। प्रकरण हाजा में जप्त वाहन संख्या आर.जे. 06 जीडी 9269 से सम्बन्धित तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है।

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण संख्या 175/2024 अंतर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात विनियमन) अधिनियम 1995 में जप्तशुदा वाहन अशोक लीलेण्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 06 जीडी 9269 रजिस्ट्रेशन के पंजीकृत स्वामी प्रार्थी है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या आर जे 06 जीडी 9269 से सम्बन्धित तफ्दीश पूर्ण हो चुकी होना थानाधिकारी श्रीनगर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। जब्तशुदा गौवंश को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला से सुपुर्दगी पर छोड़ा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्व प्रकरण संख्या 175/2024 धारा 5,6,8,9 राजस्थान गौवशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात विनियमन) नियम 1995 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6-क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलेक्टर
अजमेर

प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौ वंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस वाहन को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया गया है। वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन अशोक लीलेण्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 06 जीडी 9269 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में जब्त वाहन अशोक लीलेण्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 06 जीडी 9269 को रूपये 1,00,000/–अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीनगर जिला–अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर उक्त वाहन अशोक लीलेण्ड रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे 06 जीडी 9269 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर